



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

महत्वपूर्ण सूचना

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, हरियाणा प्रदेश का एक मात्र सरकारी बोर्ड है जो 10वीं व 12वीं की शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षा के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है। इसके इलावा हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार से कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड नहीं है, जिसे 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। बोर्ड कार्यालय के ध्यान में आया है कि हरियाणा प्रदेश में स्थित कुछ संस्थाओं द्वारा इस बोर्ड के नाम से मिलता जुलता नाम दर्शाते हुए 10वीं व 12वीं के प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस प्रकार यदि किसी संस्था द्वारा बोर्ड के नाम से मिलते जुलते नाम प्रयोग करते हुए 10वीं व 12वीं के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तो वे मान्य नहीं हैं तथा वे पूर्णतः अवैध हैं। बोर्ड की वैबसाईट पर इस बोर्ड से समकक्ष मान्यता प्राप्त सभी बोर्डों/संस्थाओं की सूची उपलब्ध है। इसलिए अभिभावक व छात्र इस सूची का अवलोकन करें तथा अवैध संस्थानों के झांसे में न आएं और अपने बच्चों का भविष्य धूमिल होने से बचाएं।

उल्लेखनीय है कि देश व हरियाणा प्रदेश में इस बोर्ड की कोई अन्य शाखा नहीं है जिसे 10वीं व 12वीं के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

सचिव